अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों का मेहनताना और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों का मेहनताना और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 11 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों का मेहनताना और पेंशन) एक्ट, 1980 में संशोधन करता है। एक्ट राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्तों का प्रावधान करता है।
- एक्ट में प्रावधान है कि सदस्य निम्नलिखित के लिए अधिकृत हैं: (i) वेतन के रूप में मासिक 25,000 रुपए, (ii) निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते के रूप में मासिक 50,000 रुपए, और (iii) सचिवालयी भत्ते के रूप में मासिक 20,000 रुपए। अध्यादेश वेतन, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते और सचिवालयी भत्ते में 30% की कटौती के लिए एक्ट में संशोधन करता है।
- यह संशोधन एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, जोकि अप्रैल 2020 से प्रारंभ होता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अखिल एन.आर.
akhil@prsindia.org

18 अगस्त, 2020